राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–64/2025

धर्मपाल —**अपीलार्थी**

बनाम

शासन सचिव, वन, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 21.01.2025

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री जोगेन्द्र सिंह/क्षितिज व्यास, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रिय वन अधिकारी–II के पद पर उपवन सरंक्षक, स्टेज–I, छत्तरगढ़, बीकानेर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.02.2018 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को रेंजर के पद पर नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को क्षेत्रिय वन अधिकारी–II, को रेंज इकाई 61 आरडी, उपवन सरंक्षक, स्टेज–I, छत्तरगढ़ से रेंज इकाई द्वितीय 750 आर.डी., उप वन संरक्षक इ.गां.न.प., स्टेज द्वितीय बीकानेर में रविन्द्र सिंह के स्थान पर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.03.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 04.03.2024 (अनुलग्नक–4) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज खाजूवाला, उप वन संरक्षक, स्टेज–I, छत्तरगढ़ में राज्य सरकार की वन स्थानान्तरण नीति के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। राजस्थान सरकार दिनांक 20.04.2011

(अनुलग्नक–6) को स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति के अनुसार पदस्थापन की न्यूनतम अवधि 02 वर्ष होगी। अतः अपील अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी क्षेत्रिय वन अधिकारी–ाा, को रेंज इकाई 61 आरडी, उपवन सरंक्षक, स्टेज–ा, छत्तरगढ़ में दिनांक 04.03.2024 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से क्षेत्रिय वन अधिकारी, रेंज खाजूवाला, उप वन संरक्षक, स्टेज–ा, छत्तरगढ में राज्यहित में किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर) **सदस्य**	**(लेखराज तोसावड़ा)** **सदस्य**